



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012021-224253
CG-DL-E-06012021-224253

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 06, 2021/ पौष 16, 1942

No. 55]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 06, 2021/PAUSHA 16, 1942

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2021

का.आ. 56(अ).— केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि में अधिकार के उपयोग का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में, नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ 1 में उल्लिखित व्यक्ति को, उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात: —

अनुसूची

प्राधिकारी का नाम और पता

अधिकारिता का क्षेत्र

(1)

(2)

श्री हरिहर जेना,

ओडिशा राज्य

सक्षम प्राधिकारी,

इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइन्स प्रभाग

पारादीप-सोमनाथपुर-हल्दीआ-पाइपलाइन

क्वार्टर संख्या बी/२, इंडियन आयल आवासीय कॉलोनी, मेघडम्बरू
पोस्ट बॉक्स:कुरुदा, बालासोर-७५६ ०५६ (ओडिशा)

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर-11025(11)/2/2019-OR-I/E-29478]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2021

S.O. 56(E).—In pursuance of Clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorizes the person mentioned in column (1) of the Schedule given below to perform the functions of the Competent Authority under the said Act, in respect of the area mentioned in column (2) of the Schedule: —

SCHEDULE

Name and address of the Authority	Area of jurisdiction (2)
Sh. Harihar Jena, Competent Authority, Indian Oil Corporation Ltd., Pipelines Division Paradip–Somnathpur–Haldia Pipeline Quarter No.B/2, Indian Oil Residential Colony, Meghadambaru PO : Kuruda, , Balasore-756 056 (Odisha)	State of Odisha

This notification is applicable from the date of issue.

[F. No. R-11025(11)/2/2019-OR-I/E-29478]

P. SOMAKUMAR , Under Secy.